28/12/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी दोनों अनुपस्थित। न्यायालय काम से रुक रुक कर तीन पत्रावली आवाज लगवाई गई लेकिन कोई उप० नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया पूर्व आदेशिका के अनुसार पर्याप्त अवसर एवं दि० 11.3.20 व 15.12.20 को दो बार अन्तिम अवसर के बाद भी अवसर प्रदान करने पर तलबी पेरवी नहीं की गई। अतः न्यायालय आदेश-9 नियम 3 व 5 सी.पी.सी. वाद को खारिज करना उचित समझता है। वाद वादी खारिज किया जाता है। प्रा० फैसल मुताबिक खारिज समझा जाय।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़